

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या

12/65/2017

प्रवेश तिथि

01-05-2017

निर्णय दिनांक

09-05-2018

01- असलूप पुत्र धन्नु जाति मेव निवासी ग्राम मादलां कलां तहसील रामगढ़ जिला अलवर

—: अपीलाण्ट

बनाम

01- तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर।

—: रेस्पॉडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़

दिनांक 15.03.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0

राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 274/2017

उपस्थित:-

01-श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल

—वकील अपीलाण्ट

—:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 15.03.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम मादला कलां की सरकारी बंजड-1 व बारानी भूमि आराजी खसरा नम्बर 138/0.34, 139/0.07, 140/0.10 एवं 141/0.04 है0 रकबा 0.55 है0 मे से 0.30 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पॉ0 को जर्जे सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम मादला कलां की सरकारी बंजड-1 व बारानी भूमि आराजी खसरा नम्बर 138/0.34, 139/0.07, 140/0.10 एवं 141/0.04 है0 रकबा 0.55 है0 मे से 0.30 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 07.02.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 15.03.2017 के विरुद्ध दिनांक 01.05.2017 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण साबित होता है। अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र दिनांक 01.05.2017 में कब्जा छोड़ना बताया गया है, जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 13.10.2017 में असलूप पुत्र धन्नु जाति मेव ने मौके पर जोत लगा रखी है तथा कब्जा नहीं छोड़ा है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.03.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09-05-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार )  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राजस्थान)